



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एससी/एसटी एक्ट व गंभीर चोट पहुंचाने वाले 02 अभियुक्त को 05 वर्ष का कारावास व 14,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिवांर में पंजीकृत मु0अ0सं0-184/2010 धारा-325,323/34,504,506 भा0द0सं0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. राजमंगल सिंह पुत्र भवानीदीन सिंह 2. मदन सिंह पुत्र मुल्लू सिंह ठाकुर निवासीगण कस्बा व थाना बिवांर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 05 वर्ष का कारावास व ₹ 14,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एसपीपी विजय सिंह



विवेचक-
सीओ ए.के. सिंह



पैरोकार- थाना बिवांर
का0 श्रीकांत राजपूत